2025:CGHC:21346

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1290/2023

{विद्वान विशेष न्यायाधीश (अत्याचार) अतिरिक्त प्रभार– अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 163/2021 में दिनांक 09.06.2023 को पारित निर्णय से प्रोद्भूत}

1– विकास तिवारी उर्फ पप्पू पिता संतोष, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी– पाठकपारा, तखतपुर, थानाः तखतपुर, जिला–बिलासपुर(छत्तीसगढ़)

––– अपीलार्थी

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना–तखतपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

–––उत्तरवादी

(वाद–शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

अपीलार्थी की ओर से :– सुश्री पूजा लोनिया, अधिवक्ता

राज्य की ओर से :– श्री राहुल तामस्कर, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकलपीठ– माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

08.05.2025

1. अपीलार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन इस न्यायालय के दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता का आह्वान करते हुए, विद्वान विशेष न्यायाधीश (अत्याचार) अतिरिक्त प्रभार– अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 163/2021 में दिनांक 09.06.2023 (अनुलग्नक ए/1) को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की वैधता, विधिमान्यता एवं औचित्यता को प्रश्नगत किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान विचारण न्यायालय ने अन्य सह–अभियुक्त मधु श्रीवास को दोषमुक्त करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(ठ) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है तथा 10 वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर 2 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 11.03.2020 को शाम लगभग 05:30 बजे, पीड़िता के घर पाठकपारा, तखतपुर में, जो थानाः तखतपुर, जिला बिलासपुर के परिधि में आता है, अपीलार्थी ने वयस्क पीड़िता (अ.सा.–06) के साथ लैंगिक संबंध बनाए, जो 75% तक मध्यम बौद्धिक निःशक्तता से पीड़ित थी और अतः उसने उपरोक्त अपराध कारित किया।

3. अभियोजन का यह भी प्रकरण है कि पीड़िता की चाची (अ.सा.–01) ने दिनांक 12.03.2020 को प्र.पी./1 द्वारा प्रकरण की सूचना पुलिस को दी, जिसके अनुसार पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी./2 दर्ज की। प्र.पी./3 द्वारा अपराध विवरण प्रपत्र तैयार किया गया और प्र.पी./7 द्वारा नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्र.पी./8 द्वारा पीड़िता के वस्त्र और स्लाइड जब्त किए गए। पीड़िता की एमएलसी डॉ. बंदना चौधरी (अ.सा.–09) द्वारा की गई और एमएलसी रिपोर्ट (प्र.पी./5) के अनुसार, हाइमन पुरानी और टूटी हुई थी और हाल ही में हुए लैगिंक संभोग के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकी। निःशक्तता प्रमाण पत्र (प्र.पी/11), डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.–07) द्वारा जारी किया गया था, यह साबित करता है कि पीड़िता 75% तक मध्यम बौद्धिक निःशक्तता से पीड़ित है। पीड़िता की डॉ. नीरज शुक्ला, नैदानिक मनोविज्ञानी (परिक्षित नहीं) द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण भी किया गया था, जिसे डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.–07) द्वारा साबित किया गया था और यह पाया गया था कि पीड़िता की संज्ञानात्मक क्षमता कमजोर है और वह अति आसान प्रश्नों को समझने में सक्षम है तथा जटिल चीजों को समझने में असमर्थ है। तत्पश्चात, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और उचित अन्वेषण के उपरांत, उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध अधिकारिता वाले दाण्डिक न्यायालय के समक्ष अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तत्पश्चात विधि के अनुसार सुनवाई और विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थी ने अपराध करने से अस्वीकार किया एवं बचाव में प्रवेश किया।

4. अभियोजन ने अपने प्रकरण को साबित करने हेतु 10 साक्षियों का परीक्षण कराया एवं 20 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जबकि अपीलार्थी ने अपने बचाव के समर्थन में 01 साक्षी का परीक्षण कराया और 01 दस्तावेज प्रस्तुत किया। अपीलार्थी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रतीत परिस्थितियों से इनकार किया, स्वयं को निर्दोष और झूठे प्रकरण में फँसाए जाने का अभिवाक किया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करने के उपरांत, अपीलार्थी को निर्णय के प्रारंभिक पैरा में उल्लिखित अपराध के लिए सिद्धदोष किया, जिसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को प्रश्नगत किया गया है ।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित की विद्वान अधिवक्ता सुश्री पूजा लोनिया का तर्क है कि अभियोजन अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं है और इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त अपराध के लिए सिद्धदोष करने में त्रुटि की है। आगे उनका तर्क है कि यद्यपि चिकित्सा विशेषज्ञ (अ.सा.–07) के साक्ष्य से पीड़िता की बौद्धिक निःशक्तता स्थापित हो गई है, परंतु विद्वान विचारण न्यायालय साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिए पीड़िता की सक्षमता के विषय में अपनी संतुष्टि दर्ज करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए द्विभाषिया के रूप में शिकायतकर्ता (अ.सा.–01) की सहायता लेकर पीड़िता का परीक्षण कराया गया है, जिससे अपीलार्थी को पीड़िता ,जो 75% तक मध्यम बौद्धिक निःशक्तता से पीड़ित है,के साथ बलात्संग के गंभीर अपराध हेतु सिद्धदोष करना पूर्णतः असुरक्षित है। अतः अपील को स्वीकार कर दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को खारिज किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल तामस्कर ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क किया कि अभियोजन ने पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करके अपराध को संदेह से परे साबित किया है एवं अपीलार्थी को उक्त अपराध कारित करने हेतु उचित रुप से सिद्धदोष किया गया है। अतः वर्तमान अपील खारिज की जाए।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

9. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, अपराध की तारीख 11.03.2020 और समय लगभग 05:30 बजे है और लिखित रिपोर्ट (प्र.पी./1) दिनांक 12.03.2020 को दर्ज की गई एवं तत्पश्चात, उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी./2) दर्ज की गई। दिनांक 12.03.2020 को, पीड़िता (अ.सा.–06) की सर्वप्रथम डॉ. बंदना चौधरी (अ.सा.–09) द्वारा प्र.पी./5 द्वारा परीक्षण किया गया, जिन्होंने पाया कि हाइमन पुराना और फटा हुआ था और हाल ही में हुए लैंगिक संभोग के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकी। तत्पश्चात दिनांक 18.03.2020 को पीड़िता का निःशक्तता प्रमाण पत्र (प्र.पी./11) जारी किया गया, जिसमें यह साबित किया गया कि वह 75% तक मध्यम बौद्धिक निःशक्तता से पीड़ित है। दिनांक 22.03.2023 को पीड़िता की पुनः परीक्षण डॉ. नीरज शुक्ला, नैदानिक मनोविज्ञानी (परिक्षित नहीं) द्वारा प्र.पी./9 के माध्यम से किया गया, जिसे डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.–07) द्वारा साबित किया गया और यह राय दी गई कि पीड़िता का संज्ञानात्मक प्रकार्य कमजोर है और वह रंगों की पहचान करने

में असमर्थ है, वस्तुओं को गिनने में असमर्थ है और मुद्रा को ठीक से पहचानने में असमर्थ है। तत्पश्चात, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(ठ) के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा पीड़िता की बौद्धिक निःशक्तता के तथ्य को साबित करने वाले निःशक्तता प्रमाण–पत्र एवं अन्य चिकित्सा परीक्षण प्रमाण–पत्रों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.03.2023 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पीड़िता का कथन अभिलिखित किया, जिसमें पीड़िता ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया है।

10. यद्यपि, विद्वान विचारण न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन अभिलिखित करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164(5क) के आदेश का अनुपालन करना चाहिए था, जिसमें निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:–

"164. संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना–

(1) xxx xxx xxx

(2) xxx xxx xxx

(3) xxx xxx xxx

(4) xxx xxx xxx

(5) xxx xxx xxx

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[(5क)(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ड या धारा 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा :

परन्तु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानिसक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रवोधक की सहायता लेगा :

परन्तु यह है और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है तो किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति के, जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 737 में यथाविनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वालों की, विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना, ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी ।]"

11. उपरोक्त का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने से यह ज्ञात होता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164(5क)(क) के प्रावधान में लैंगिक अपराध की पीड़िता, जो अस्थायी या स्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त है, का कथन द्विभाषिया और विशेष प्रवोधक की सहायता लेने करने का तरीका बताया गया है और इसकी वीडियोग्राफी भी आवश्यक है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में निर्दिष्ट मुख्य परीक्षण के रूप में लिया जाना चाहिए। यद्यपि, इस प्रकरण में विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164(5क) में निहित आदेश को पूर्णतः दरकिनार कर दिया और पीड़िता का कथन अभिलिखित करने की कार्यवाही की, जबकि विद्वान विचारण न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164(5क) के प्रावधान की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए था और उसमें दिए गए आदेश का अनुपालन करना चाहिए था।

12. इसके अतिरिक्त, पीड़िता का कथन दिनांक 28.03.2023 को अभिलिखित किया गया और उसी दिन, मनोचिकित्सक (अ.सा.–07) डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव का कथन भी अभिलिखित किया गया, जिसमें उन्होंने पीड़िता के दिनांक 18.03.2020 के निःशक्तता प्रमाण पत्र (प्र.पी./11) को साबित किया और इस तथ्य को साबित किया कि वह 75% की सीमा तक मध्यम बौद्धिक निःशक्तता से पीड़ित है। यद्यपि, पीड़िता की मुख्य परीक्षण के समय, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता (अ.सा.–06) की साक्षी के रूप में साक्ष्य देने और तर्कसंगत जवाब देने की क्षमता के विषय में कोई प्रारंभिक परीक्षण नहीं किया और पीड़िता की चाची (अ.सा.–01) की सहायता से द्विभाषिया के रूप में, डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.–07) और एक डॉ. नीरज शुक्ला (परीक्षित नहीं) की सहायता से परीक्षण प्रारंभ किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस स्तर पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 पर विचार करना उचित होगा, जो साक्षियों की सक्षमता के विषय में सामान्य नियम निर्धारित करती है और यह प्रावधान करती है कि साक्षी की सक्षमता या अक्षमता के विषय में प्रश्नों का निर्णय न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षण के आधार पर जिसे वॉयर डियर कहा जाता है। धारा 118 निम्नानुसार है:–

> "**118. कौन साक्ष्य दे सकेगा–** सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक की न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित हैं।
>
> स्पष्टीकरण –कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए निःशक्त नहीं है. जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उनके युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. संक्षिप्त में, किसी कार्यवाही में साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति की सक्षमता का मूल्यांकन न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर विचार करके किया जाना चाहिए कि क्या कोमल वयस, अतिवार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने में असमर्थ है। इस तथ्य के बावजूद कि चिकित्सा विशेषज्ञ (अ.सा.–07) के कथन और चिकित्सा परीक्षण प्रमाण–पत्र (प्र.पी./9 और प्र.पी./11) के दृष्टिगत पीड़िता के बौद्धिक निःशक्तता से पीड़ित होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता की उसके समक्ष रखे गए प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने की क्षमता का पता लगाने के लिए कोई प्रारंभिक परीक्षण नहीं किया और पीड़िता (अ.सा.–06) की साक्षी के रूप में साक्ष्य देने की क्षमता के संबंध में कोई विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किए बिना, पीड़िता की मुख्य परीक्षा की कार्यवाही प्रारंभ कर दी, जिससे पीड़िता की साक्ष्य देने की सक्षमता के साथ–साथ उसके कथन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

15. इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन पीड़िता की साक्षी के रूप में साक्ष्य देने की सक्षमता के विषय में अपना निष्कर्ष दर्ज करना आवश्यक था, परंतु स्पष्ट है, वह ऐसा करने में असफल रहा है। इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि पीड़िता (अ.सा.–06) 75% तक बौद्धिक रूप से निःशक्त थी, विद्वान विचारण न्यायालय पर यह विचार करने का दायित्व था कि क्या पीड़िता (अ.सा.–06) को उसकी बौद्धिक निःशक्तता के कारण उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने से रोका गया था। पीड़िता (अ.सा.–06) की ऐसी परीक्षा और उससे प्राप्त उत्तरों से या तो पीड़िता की बुद्धिमत्ता के स्तर और उसके द्वारा समझने की क्षमताओं के

संबंध में न्यायालय का विश्वास प्रेरित करता या न्यायालय को ऐसे साक्ष्य को अविश्वसनीय, समझ से परे और अविश्वसनीय मानकर अनदेखा करने का आग्रह किया जाता।

16. इसके अतिरिक्त, यद्यपि द्विभाषिया (अ.सा.–01), डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.–07) और डॉ. नीरज शुक्ला (परिक्षित नहीं) को शपथ दिलाई गई, परंतु पीड़िता को उसकी परीक्षण से पूर्व शपथ नहीं दिलाई गई, जिससे उसके कथन की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है। इस संबंध में शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 4 पर विचार किया जा सकता है, जो निम्नानुसार है:–

> **"4. साक्षियों, दुभाषियों और जूरी–सदस्यों द्वारा शपथ ली जाना या प्रतिज्ञान किया जाना–**
> (1) निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा शपथें ली जाएंगी या प्रतिज्ञान किए जाएंगे, अर्थात्
> (क) सब साक्षी, अर्थात् सब व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा उसके समक्ष अथवा ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा करने या साक्ष्य लेने के लिए विधि–अनुसार या पक्षकारों की सम्मति से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष विधिपूर्वक परीक्षित किए जा सकते हैं अथवा साक्ष्य दे सकते हैं या देने के लिए अपेक्षित किए जा सकते हैं ;
> (ख) साक्षियों से किए गए प्रश्नों और उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य के द्विभाषिए;
> तथा
> (ग) जूरी–सदस्य
>
> परन्तु जहां साक्षी बारह वर्ष से कम आयु का बालक हो और उस न्यायालय या व्यक्ति को, जिसे उस साक्षी की परीक्षा करने का प्राधिकार हो, यह राय कि साक्षी सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है किन्तु वह शपथ या प्रतिज्ञान की प्रकृति को नहीं समझता वहां इस धारा के पूर्वगामी उपबन्ध और धारा 5 के उपबन्ध उस साक्षी को लागू नहीं होंगे ; किन्तु ऐसे किसी प्रकरण में शपथ या प्रतिज्ञान का अभाव न तो किसी ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य को अग्राह्य बनाएगा और न उस साक्षी की सत्य कथन करने की बाध्यता पर प्रभाव डालेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस प्रकार, शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 4 में यह अनिवार्य किया गया है कि सब व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा उसके समक्ष अथवा ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा करने या साक्ष्य लेने के लिए विधि–अनुसार या पक्षकारों की सम्मति से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष विधिपूर्वक परीक्षित किए जाते है, इस प्रकार के समस्त व्यक्तियों द्वारा शपथ ली जाएंगी या प्रतिज्ञान किए जाएंगे। ऐसे लोगों को शपथ या प्रतिज्ञान का प्रभाव शपथ अधिनियम की धारा 7 में प्रस्तुत किया गया है, जो पुन: प्रस्तुत किया गया है:–

"**7. शपथ के लोप या अनियमितता से कार्यवाहियों और साक्ष्य का अविधिमान्य न होना –** शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने का कोई लोप, उनमें से किसी एक के स्थान पर दूसरे का कोई प्रतिस्थापन और किसी शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने में, या जिस रूप में उसे दिलाया या कराया जाए उसमें, कोई अनियमितता न तो किसी कार्यवाही को अविधिमान्य बनाएगी और न किसी भी, ऐसे साक्ष्य को, जिसमें या जिसकी वावत ऐसा लोप, प्रतिस्थापन या अनियमितता हुई हो, अग्राह्य बनाएगी, और न वह साक्षी की सत्य कथन करने की बाध्यता पर ही प्रभाव डालेगी।

18. साक्षियों द्वारा शपथ न दिलाए जाने के प्रभाव पर माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने **रामेश्वर विरुद्ध राजस्थान राज्य**[1] के प्रकरण में शपथ अधिनियम, 1873 पर विचार करते हुए अवधारित किया है कि शपथ अधिनियम सक्षमता से संबंधित नहीं है, इसका मुख्य प्रयोजन मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों को अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाना है और आगे अभिनिर्धारित किया है कि वयस्क को शपथ न दिलाए जाने से केवल साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, उसकी सक्षमता प्रभावित नहीं होती और पैरा 8, 9 तथा 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**8.** ऊपरोक्त उद्धृत प्रावधान को साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 और शपथ अधिनियम की धारा 13 सह पठित किया जाना चाहिए। मेरी राय में, शपथ दिलाने में लोप, चाहे वह वयस्क ही क्यों न हो, केवल साक्षी की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, उसकी सक्षमता पर नहीं। सक्षमता के प्रश्न पर धारा 118 में विचार किया गया है। सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक की न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने असमर्थ है। यह देखा जाएगा कि वास्तव में सक्षमता हमेशा होती है, जब तक कि न्यायालय अन्यथा विचार न करे। निःशक्तता का कोई अन्य आधार नहीं दिया गया है, इसलिए, जब तक कि शपथ अधिनियम में निःशक्तता के अतिरिक्त आधार नहीं जोड़े जाते, यह स्पष्ट है कि धारा 118 अवश्य लागू होगी।

9. अब शपथ अधिनियम सक्षमता से संबंधित नहीं है। इसका मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि साक्षी को उचित रूप से जवाब देने में सक्षम बनाया जाए। जो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देते हैं, उन पर विचारण चलाया जा सकता है। यह सत्य है कि इसका एक सहायक प्रयोजन साक्षी को अवसर की गंभीरता का एहसास कराना और उसे सत्य बोलने का कर्तव्य समझाना है, परंतु धारा 118 के दृष्टिगत ये प्रकरण केवल विश्वसनीयता को छूते हैं,

1 AIR 1952 SC 54

स्वीकार्यता को नहीं। मेरी राय में, शपथ अधिनियम की धारा 13 इसे संदेह से परे रखती है। यह व्यक्त करता है:

> "13. शपथ के लोप या अनियमितता से कार्यवाहियों और साक्ष्य का अविधिमान्य न होना – शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने का कोई लोप, उनमें से किसी एक के स्थान पर दूसरे का कोई प्रतिस्थापन और किसी शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने में, या जिस रूप में उसे दिलाया या कराया जाए उसमें, कोई अनियमितता न तो किसी कार्यवाही को अविधिमान्य बनाएगी और न किसी भी, ...

" **10**. धारा 5 शपथ प्रशासन के संबंध में मुख्य प्रावधान है। प्रावधान केवल उन प्रकरणों को निर्धारित करता है जिनमें शपथ नहीं दिलाई जानी है। इसलिए, यदि शपथ लेने में लोप साक्ष्य की अग्राह्यता को प्रभावित नहीं करती है, तो इसका अर्थ यह है कि जिस तरह की अनियमितता पर हम विचार कर रहे हैं, जो प्रावधान से उत्पन्न होती है, वह अग्राह्यता को प्रभावित नहीं कर सकती है। धारा 118 बनी हुई है और जब तक न्यायाधीश अन्यथा विचार नहीं करता है, तब तक साक्षी सक्षम है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. यह स्वीकार किया जाना चाहिए और निर्विवाद रूप से, पीड़िता (अ.सा.–06) के कथन का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह ज्ञात होता है कि उसे कोई शपथ/प्रतिज्ञान नहीं दिलाया गया था और उसका कथन डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव, मनोचिकित्सक (अ.सा.–07), डॉ. नीरज शुक्ला, मनोवैज्ञानिक (जिसे परिक्षित नहीं कराया गया) और एक द्विभाषिया–पीड़िता की चाची (अ.सा.–01) की सहायता से अभिलिखित किया गया था, इस प्रकार, पीड़िता (अ.सा.–06) को शपथ न दिलाए जाने का प्रभाव केवल साक्षी की विश्वसनीयता पर पड़ता है, न कि उसकी सक्षमता पर। इसके अतिरिक्त, **राजस्थान राज्य विरुद्ध दर्शन सिंह**[2] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी साक्षी की शपथ दिलाए बिना परीक्षण कराया जाता है, तो यह साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है (देखें: पैरा 30)। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, चूंकि पीड़िता (अ.सा.–06) का परीक्षण उसे शपथ दिलाए बिना की गई थी, इसलिए उसके साक्ष्य अविश्वसनीय हो गए हैं।

20. इस प्रकरण में एक और विवाद्यक जिस पर विचार किया जाना चाहिए, वह यह है कि पीड़िता (अ.सा.–06) का परीक्षण कराते समय, विचारण न्यायालय ने इस प्रकरण में शिकायतकर्ता दीपा श्रीवास (अ.सा.–01) की सहायता ली है, जो पीड़िता की चाची भी है और इस प्रकार, एक हितबद्ध

2 (2012) 5 SCC 789

साक्षी है। इस संबंध में, दर्शन सिंह (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 में निहित प्रावधानों के अनुसार द्विभाषिया की सहायता के विवाद्यक पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि यदि द्विभाषिया प्रदान किया जाता है, तो वह उसी परिवेश का व्यक्ति होना चाहिए, परंतु प्रकरण में उसका कोई हित नहीं होना चाहिए, और पैरा 30 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

> "**30.** इस प्रकरण में, अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है कि गीता (अ.सा. 16) पठन व लेखन में सक्षम थी और यह तथ्य विचारण न्यायालय में साबित हुआ जब उसने अपने पिता का टेलीफोन नंबर लिखा। हम यह समझने में असफल हैं कि उसका कथन लिखित रूप में क्यों नहीं अभिलिखित नहीं किया जा सका यानी उसे लिखित में प्रश्न दिए जा सकते थे और लिखित में उनका उत्तर देने का अवसर दिया जा सकता था। जो भी हो, उसका कथन उसके पिता की सहायता से एक द्विभाषिया के रूप में अभिलिखित किया गया था, जो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों से, एक हितबद्ध साक्षी होने के नाते, जिसने विचारण और परीक्षण के दौरान सहायता की थी, और शपथ दिलाए बिना उसका परीक्षण किया गया था, जिससे साक्ष्य अविश्वसनीय हो गए। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, उच्च न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए उत्तरवादी को उचित रूप से दोषमुक्त किया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्ट है, इस प्रकरण में द्विभाषिया–दीपा श्रीवास (अ.सा.–01) पीड़िता की चाची है और वह वह व्यक्ति भी है जिसने पुलिस को प्रकरण की सूचना दी थी, जिसके अनुसार, प्र.पी/2 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और इस प्रकार, वह एक हितबद्ध साक्षी होने के नाते, विद्वान विचारण न्यायालय ने द्विभाषिया के रूप में उसकी सहायता लेने में त्रुटि की है।

21. उपरोक्त विमर्श के दृष्टिगत, अभिलेखों से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित होते हैं कि:–

(i) यद्यपि पीड़िता 75% तक मध्यम बौद्धिक निःशक्तता से पीड़ित है, जैसा कि डॉ. सतीश कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.–07) द्वारा प्रदर्श पी/9 एवं प्रदर्श पी/11 द्वारा प्रमाणित किया गया है, फिर भी विद्वान विशेष न्यायाधीश भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के प्रावधान के आलोक में पीड़िता (अ.सा.–06) की सक्षम साक्षी के रूप में साक्ष्य देने की सक्षमता के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करने में असफल रहे, और इसलिए, दोषसिद्धि के आधार के लिए उसके कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता।

(ii) दिनांक 28.03.2023 को मुख्य परीक्षण अभिलिखित करने से पूर्व पीड़िता को शपथ नहीं दिलाई गई थी, ऐसे में, शपथ अधिनियम की धारा 7 के साथ रामेश्वर (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, उसके साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, जिससे उसका साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता है।

(iii) द्विभाषिया (अ.सा.–01) पीड़िता की चाची होने के नाते हितबद्ध साक्षी थी और शिकायतकर्ता भी थी जिसने प्रकरण की सूचना पुलिस को दी थी, अतः दर्शन सिंह (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, पीड़िता का कथन उसकी चाची (अ.सा.–01) की सहायता से द्विभाषिया के रूप में अभिलिखित किया गया, जो एक हितबद्ध साक्षी है और जिसने अपराध के विचारण और परीक्षण के दौरान सहायता की थी और जिसे अभियोजन के साक्षी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, का अवलंब लिया जा सकता है।

(iv) अभियोजन के प्रकरण का समर्थन करने वाला कोई चिकित्सा या फोरेंसिक साक्ष्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. निष्कर्षतः, चिकित्सा विशेषज्ञ (अ.सा.–07) के साक्ष्य द्वारा स्थापित पीड़िता (अ.सा.–06) की बौद्धिक निःशक्तता, साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिए पीड़िता की क्षमता के संबंध में संतुष्टि दर्ज करने में विद्वान विचारण न्यायालय की विफलता, शपथ दिलाए बिना पीड़िता की मुख्य परीक्षण, पीड़िता के कथन को अभिलिखित करने के लिए द्विभाषिया के रूप में पीड़िता की चाची (अ.सा.–01) द्वारा ली गई सहायता और अभियोजन के प्रकरण का समर्थन करने वाला कोई फोरेंसिक या चिकित्सा साक्ष्य न होना, अपीलार्थी को पीड़िता (अ.सा.–06), जो 75% तक मध्यम बौद्धिक निःशक्तता से पीड़ित है, के साथ बलात्संग के गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष करना पूर्णतः असुरक्षित बनाता है। इस प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(ठ) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को खारिज किया जाता है और अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। तदनुसार, अपीलार्थी को यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अविलंब जेल से मुक्त किया जाए।

23. प्रकरण के निराकरण से पूर्व, मैं श्री राहुल तामस्कर, शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रदत्त सहायता हेतु आभार प्रकट करता हूँ।

24. अतः यह दाण्डिक अपील उपरोक्त दर्शित सीमा तक **स्वीकार** की जाती है।

25. इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मूल अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय और जेल अधीक्षक को, जहाँ वह निरुद्ध है एवं कारावास का दण्ड भुगत रहा है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, हेतु अविलंब प्रेषित की जाए।

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur